



फा. सं. ११७/5(5)/SCF/Store/FP/2023-24

दिनांक: 05.03.2024

बांस का नीलामी नोटिस

इस संस्थान, के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, में पादप विज्ञान विभाग के बांस परियोजना के झुण्ड में खड़े लगभग 3500 बांसों की खुली नीलामी दिनांक 27.03.2024 को प्रातः 10.30 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय भवन में की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता इस नीलामी में भाग ले सकते हैं।

नीलामी की नियम एवं शर्तें

1. बांसों की खुली नीलामी दिनांक 27.03.2024 को प्रातः 10.30 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय भवन में की जायेगी। जो भी बोलीदाता प्रातः 10.30 बजे तक नीलामी में उपस्थित होंगे उन्हें ही बोली लगाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रातः 10.30 बजे के पश्चात् किसी भी बोलीदाता को भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. नीलामी में भाग लेने हेतु आधार कार्ड एवं बैंक की पासबुक की प्रतिलिपि आवश्यक है।
3. इन बांसों की कटाई के बाद झुण्ड के अनुसार बांसों का वजन लिया जायेगा तथा प्रत्येक झुण्ड में 2 बांसो/डंडो को छोड़ना अनिवार्य होगा।
4. बांसों की नीलामी जैसी है जहाँ है के आधार पर की जायेगी। एक बार बोली छूटने के पश्चात् इन बांसों के आकार, प्रकार या अन्य किसी कमी से संबंधित शिकायत इत्यादि को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. इच्छुक बोलीदाता नीलामी किये जाने वाले बांसों का निरीक्षण नीलामी नोटिस जारी होने के पश्चात् किसी भी कार्यदिवस में 10.00 बजे से 4.00 बजे के बीच कर सकते हैं। इस कार्य हेतु वह अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के प्रक्षेत्र अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।
6. इच्छुक बोलीदाता को बोली की धरोहर राशि रू0 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) नीलामी में भाग लिए जाने हेतु पंजीयन, डी0डी0 जो कि ICAR (Unit) CSWCRTI, Dehradun के पक्ष में देय हो अथवा नकद के रूप में स्वीकार किया जायेगा, किसी अन्य माध्यम से धरोहर राशि प्राप्त नहीं की जायेगी।
7. एक धरोहर राशि के सापेक्ष केवल एक ही बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।
8. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को ही सफल बोलीदाता माना जायेगा तथा नीलामी उनके पक्ष में अनुमोदित की जायेगी।
9. असफल बोलीदाता की पंजीकरण राशि को बोली के तत्पश्चात् वापिस कर दिया जायेगा व सफल बोलीदाता की पंजीकरण राशि को धरोहर राशि के रूप में जमा कर लिया जायेगा जो कि नीलामी अवधि के 60 दिन पश्चात् ही वापिस की जायेगी।
10. सफल बोलीदाता को कुल नीलामी राशि का 25 प्रतिशत उसी दिन ई-ट्रांसफर / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में संस्थान में जमा कराना होगा अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। शेष धनराशि नीलामी आदेश जारी होने की तिथि के सात दिवस के भीतर ई-ट्रांसफर / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संस्थान में अवश्य जमा करानी होगी। यह धनराशि निश्चित समयावधि तक जमा नहीं कराने की अवस्था में उनके

जि. प्र. देशवाल
05/03/2024

पक्ष में अनुमोदित नीलामी रद्द मानी जायेगी तथा उनके द्वारा जमा करायी गयी संपूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

11. सफल बोलीदाता को कुल नीलामी राशि पर 5% GST अतिरिक्त देना होगा।
12. सफल बोलीदाता को नीलामी आदेश प्राप्ति के पश्चात् नीलामी आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस के अन्दर नीलामी किये गये बांसो को अपने व्यय से कटाई-छंटाई कर अनुसंधान प्रक्षेत्र से बाहर ले जाना होगा तथा नीलामी के पश्चात् नीलाम किये गये बांसो को बाहर ले जाने की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी। संस्थान द्वारा इसमें किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अथवा व्यय वहन नहीं किया जायेगा। इन 30 दिवस के भीतर यदि नीलाम किये गये बांसो को अनुसंधान प्रक्षेत्र से बाहर नहीं ले जाया गया तो इसके पश्चात् सफल बोलीदाता को कुल नीलामी राशि के 1/2 प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब से पैनल्टी के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना होगा तथा पैनल्टी भुगतान के पश्चात् ही उनको माल उठाने की अनुमति दी जायेगी। यह सीमा अधिकतम 15 दिवस की होगी, इसके बाद भी यदि बोलीदाता समस्त माल उठाने में असफल रहता है तब ऐसी स्थिति में इस नीलामी को रद्द कर दिया जायेगा तथा ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी एवं शेष बचा हुआ माल, यदि कोई है, को भी जब्त कर लिया जायेगा जिसके लिए बोलीदाता स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
13. सफल बोलीदाता को बांसों की कटाई, उठाई इत्यादि में लगाये जाने वाले श्रमिकों की संपूर्ण जानकारी उनके आधार कार्ड की प्रति सहित प्रक्षेत्र अधीक्षक को जमा करानी होगी।
14. बांसो की कटाई, उठाई इत्यादि के दौरान यदि ठेकेदार के किसी भी श्रमिक इत्यादि को किसी भी प्रकार का शारीरिक नुकसान इत्यादि होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस संबंध में संस्थान किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
15. सफल बोलीदाता द्वारा बांसों की कटाई एवं उठाई का कार्य, कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से 4.00 बजे के बीच ही करना होगा।
16. यदि नीलामी की तिथि को किसी प्रकार का अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर ही पूर्ण की जायेगी तथा इसके लिए अलग से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।
17. सफल बोलीदाता के स्वयं अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा माल को फार्म प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने इत्यादि के दौरान यदि अनुसंधान प्रक्षेत्र की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इस नुकसान की भरपाई में होने वाला समस्त भरपाई उसको नीलाम किये गये माल/धरोहर राशि से भी की जा सकती है।
18. निदेशक, भा0कृ0अनु0प0-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने अथवा संपूर्ण नीलामी प्रक्रिया को किसी भी अवस्था में बिना कसण बताये रद्द करने का संपूर्ण अधिकार होगा।

1. ज. वि. दे. (अनु. प. 0)
05/03/2024
प्रक्षेत्र अधीक्षक

अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई।